



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112021-231318
CG-DL-E-24112021-231318

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4465]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्रहायण 2, 1943

No. 4465]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRAHAYANA 2, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2021

का.आ. 4832(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4244 तारीख 22 नवंबर 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के नबरंगपुर जिले में "नव प्रस्तावित रायपुर विशाखापट्टनम इकनोमिक कॉरिडोर के कि.मी. 123.210 से कि.मी.238.200 (O/o- तहसीलदार, झारिगाओं जिला- नबरंगपुर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमिका अर्जन करने के अपने आशयकी घोषणा की थी; और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "17 जनवरी 2020 को "प्रगतिवादी" में और 16 जनवरी 2020 " को "सम्बाद " में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के नबरंगपुर जिले में नव प्रस्तावित रायपुर विशाखापट्टनम इकनोमिक कॉरिडोर के कि.मी. 123.21 से कि.मी.238.2 (O/o- तहसीलदार , झारिगाओं, जिला - नबरंगपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा					
जिले का नाम: नबरंगपुर					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: झारीगन					
गांव का नाम: माजिआ					
1	62	सरकारी	बड़ा जंगल	0.0025	आबाद जोग्य अनाबादि (६२)
2	64	निजी	धान / ३	0.0117	गोबारा भतरा पिता: असादु भतरा जाति: भतरा ग्राम : माजिआ (६४)
3	65	निजी	धान / ३	0.1003	गोबारा भतरा पिता: असादु भतरा जाति: भतरा ग्राम : माजिआ (६५)
गांव का नाम: मण्डिआगुडा					
4	367	सरकारी	पतित	0.0027	आबाद जोग्य अनाबादि (३६७)
5	370	सरकारी	पतित	0.0263	आबाद जोग्य अनाबादि (३७०)
6	371	निजी	अटाल	0.0361	कुमा भतरा पिता: मकरंदा भतरा, रायमती भतरा पिता: राजम भतरा जाति: भतरा ग्राम : मण्डिआगुडा (३७१)

7	372	सरकारी	पतित	0.0069	आबाद जोग्य अनाबादि (३७२)
	गांव का नाम: तुरन्जी				
8	306	निजी	धना अनजला सेचिता	0.0015	सुंदरसिंह लोहार, रतन लोहार, पीतम लोहार, कमलू लोहार, दशई लोहार, मंगा लोहार, धनमती लोहार पिता: श्यामसुंदर लोहार, धना लोहार, बुधबारी लोहार पिता: हरिसिंह लोहार, चंदरदी लोहार पति: हरिसिंह लोहार जाति: लोहार ग्राम : तुरन्जी (३०६)
9	308	निजी	धना अनजला सेचिता	0.0006	मंगुलु पनका, दशमु पनका, रतनबाति पनका पिता: कृष्णा पनका, कमलादेई पनका पति: कृष्णा पनका जाति: पनका ग्राम: तुरन्जी (३०८)
10	310	सरकारी	जंगल	0.0031	रखित (३१०)
11	311/1164	सरकारी	जंगल	0.0062	रखित (३११/११६४)
			कुल	0.1979	

[फा. सं. NHAI/11013/LA/PIU-SBP, Odisha/Raipur-Vizag/Notif.(3a)/3D3]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2021

S.O. 4832(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) vide S.O. No. 4244 dated 22nd November, 2019, the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four/Six-laning, etc.), maintenance, management and operation of Newly Proposed Raipur Vishakhapatnam Economic Corridor on the stretch of land from Km. 123.210 to Km. 238.200 (O/o- Tahasildar, Jharigaon Dist - Nabarangpur) in the District of NABARANGPUR in the State of ODISHA;

And whereas, the substance of the said notification has been published in “Pragatibadi” newspaper dated 17th January, 2020 and “Sambad” Newspaper dated 16th January, 2020, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Newly Proposed Raipur Vishakhapatnam Economic Corridor in the stretch of land from Km. 123.210 to Km. 238.200 in the Newly Proposed (O/o- Tahasildar, Jharigaon, Dist - Nabarangpur) in the district of NABARANGPUR in the state of ODISHA.

State: ODISHA		District: NABARANGPUR			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Jharigan				
	Village: Majia				
1	62	Government	Bada Jungle	0.0025	Aabada Jogya Anabadi 62
2	64	Private	Dhana / 3	0.0117	Gobara Bhatara S/o: Asadu Bhatara Caste: Bhatara Village: Majia 64
3	65	Private	Dhana / 3	0.1003	Gobara Bhatara S/o: Asadu Bhatara Caste: Bhatara Village: Majia 65
	Village: Mandia Guda				
4	367	Government	Patita	0.0027	Aabada Jogya Anabadi 367
5	370	Government	Patita	0.0263	Aabada Jogya Anabadi 370
6	371	Private	Atala	0.0361	Kuma Bhatara S/o: Makaranda Bhatara , Raimati Bhatara S/o: Rajamana Bhatara Caste: Bhatara Village: Mandia Guda 371
7	372	Government	Patita	0.0069	Aabada Jogya Anabadi 372

	Village: Turanji				
8	306	Private	Dhana anajala sechita	0.0015	Sundarsingh Lohar, Ratan Lohar, Pitam Lohar, Kamalu Lohar, Dashai Lohar, Manga Lohar, Dhanamati Lohar S/o: Shyamsundar Lohar, Dhana Lohar, Budhubari Lohar S/o: Harisingh Lohar, Chandardi Lohar W/o: Harisingh Lohar Caste: Lohar Village: Turanji 306
9	308	Private	Dhana anajala sechita	0.0006	Mangulu Panaka, Dashamu Panaka, Ratnabati Panaka S/o: Krushna Panaka, Kamaladei Panaka W/o: Krushna Panaka Caste: Panaka Village: Turanji 308
10	310	Government	Jungle	0.0031	Rakhita 310
11	311/1164	Government	Jungle	0.0062	Rakhita 311/1164
			TOTAL	0.1979	

[F. No. NHAI/11013/LA/PIU-SBP, Odisha/Raipur-Vizag/Notif.(3a)/3D3]

RAJESH GUPTA, Director